न्यायालय : अपर जिला न्यायाधीश, पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **शरद तँवर,** R.J.S.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी विविध अपील संख्या 04/2026

1. **श्री रांकावत समाज न्याति भवन संस्था रोहट** जरिये प्रतिनिधि कोषाध्यक्ष **सम्पतदास** पुत्र स्व. श्री सुन्दरदास जी, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम खारडा, तहसील व जिला पाली (राज.)
2. **श्री रांकावत बोर्डिंग आम समाज संस्था, पाली** जरिये प्रतिनिधि कोषाध्यक्ष **सम्पतदास** पुत्र स्व. श्री सुन्दरदास जी, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम खारडा, तहसील व जिला पाली (राज.)

..... **अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण**

-बनाम-

1. **उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ**, पाली।
2. **मोहनदास** पुत्र जोगीदास, निवासी गाँव खाराबेरा पुरोहितान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
3. **दाउदास** पुत्र बस्तीराम, निवासी गाँव बाण्डाई, तहसील रोहट, जिला पाली।
4. **लूणदास** पुत्र मंगलदास, निवासी गाँव बाणीयावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
5. **ढगलदास** पुत्र हेमदास, निवासी गॉव रेन्दड़ी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
6. **गणपतदास** पुत्र छोटूदास जी, निवासी गॉव आंटण, तहसील रोहट, जिला पाली।
7. **मदनदास** पुत्र मुकनदास, निवासी गाँव सर, तहसील सूणी, जिला जोधपुर।
8. **लादुदास** पुत्र बस्तीदास, निवासी गाँव फैकारिया, तहसील रोहट, जिला पाली।
9. **मदनदास** पुत्र हिरदास, निवासी गाँव मोगड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
10. **अर्जुनदास** पुत्र लच्छीराम, निवासी गाँव खाण्डी, तहसील रोहट, जिला

GOVIND RAM CHOUHAN
Digitally signed by GOVIND RAM CHOUHAN
Date: 2026.02.27 16:09:32 +0530

पाली।

11. **बालकदास** पुत्र मोडादास, निवासी गाँव सोनाई लाखा, तहसील रोहट, जिला पाली।
12. **हरिदास** पुत्र हस्तीराम, निवासी गॉव साजी, तहसील रोहट, जिला पाली।
13. **भंवरदास** पुत्र मुकनदास, निवासी गाँव मोगडा, तहसील लूणी जिला जोधपुर

..... **रेस्पोंडेंण्ट्स/अप्रार्थीगण**

दीवानी अपील अन्तर्गत आदेश 43 नियम 1 सीपीसी विरूद्ध आदेश दिनांक 21.01.2026 द्वारा सिविल न्यायाधीश, पाली दीवानी विविध प्रार्थना पत्र संख्या 73/2025 बअनवान श्री रांकावत समाज न्याति भवन संस्था वगैरह बनाम उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाए, पाली वगैरह

उपस्थिति:-

1. **श्री एन. के. चौधरी,** अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण की ओर से।
2. **श्री चैनसिंह सांखला,** राज. अधिवक्ता रेस्पों. सं. 1 की ओर से।
3. **श्री जिनेन्द्रसिंह,** अधिवक्ता रेस्पों. सं. 2 से 13 की ओर से।

<u>आदेश</u> दिनांक 26.02.2026

1. यह दीवानी विविध अपील अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण की ओर से रेस्पोंडेंण्ट्स/अप्रार्थीगण के विरूद्ध सिविल न्यायाधीश, पाली द्वारा दीवानी विविध प्रार्थना पत्र संख्या 73/2025 बअनवान श्री रांकावत समाज न्याति भवन संस्था वगैरह बनाम उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाए, पाली वगैरह में पारित आलौच्य आदेश दिनांक 21.01.2026 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित करने से इंकार कर दिया। रेस्पोंडेंण्ट्स/अप्रार्थीगण को तलब किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया।

2. अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण की ओर से अपनी अपील याचिका के संलग्न अपीलाधीन आदेश, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2

GOVIND RAM CHOUHAN
Digitally signed by GOVIND RAM CHOUHAN
Date: 2026.02.27 16:09:41 +0530

सीपीसी, विचारण न्यायालय की आदेशिकाए, संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, संस्थाओं के विधान, मिटिंग के मिनिट्स इत्यादि की प्रतियां पेश की गयी।

3. बहस उभयपक्षीय सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण की ओर से यह अपील इन आधारों पर प्रस्तुत की गयी है कि उनकी ओर से विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष एक मूलवाद मय दीवानी विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी प्रस्तुत कर दीवानी विविध प्रकरण में यह प्रार्थना की गयी थी कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के तहत रजिस्टर्ड संस्थाएं है। रेस्पोंडेंट/अप्रार्थी सं. 1 उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं पाली को इन संस्थाओं पर नियंत्रण की अधिकारिता है। अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण संस्थाओं की संयुक्त कार्यकारिणी के चुनाव पूर्व में दिनांक 10.04.2022 को हुऐ थे। तत्पश्चात दिनांक 06.04.2025 को समाज की आम सभा में अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण संस्थाओं की कार्यकारिणी के चुनाव सम्पन्न हुए और नई कार्यकारिणी को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। इस नवगठित कार्यकारिणी के तीन सदस्यों द्वारा संस्था विरोधी गतिविधियां करने पर आम सभा दिनांक 18.05.2025 में उन्हें कार्यकारिणी से हटाकर सर्वसम्मति से तीन नये सदस्यों का चुनाव करा लिया गया। इस प्रकार दिनांक 18.05.2025 को संशोधित की गयी कार्यकारिणी अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण संस्थाओं की वर्तमान कार्यकारिणी के रूप में वादपत्र में संबोधित की गयी है।

5. अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण की ओर से यह दर्शित किया गया है कि दिनांक 06.04.2025 को नई कार्यकारिणी का चुनाव होते ही पूर्व कार्यकारिणी का कार्यकाल विधि अनुसार समाप्त हो चुका था। फिर भी पूर्व कार्यकारिणी के अध्यक्ष मदनदास एवं अन्य द्वारा दिनांक 12.04.2025 को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वादीगण संस्थाओं के रजिस्टर/किताब कार्यवाही में इस आशय के मिनट्स अंकित किये गये कि -''आज लिये गये प्रस्ताव में दिनांक 06.04.2025 को चुनी गयी कार्यकारिणी के बारे में विचार विमर्श करने हेतु आगे दिनांक 20.04.2025 रविवार को रोहट में आम मिटिंग रखी गयी है।"

GOVIND RAM CHOUHAN
Digitally signed by GOVIND RAM CHOUHAN
Date: 2026.02.27 16:09:50 +0530

तत्पश्चात रेस्पोंडेंण्ट्स/प्रतिवादीगण सं. 2 से 13 द्वारा पुनः दिनांक 20.04.2025 को अनाधिकृत रूप से आम सभा के मिनट्स लिखे गये जो सभी मिनटस प्रारम्भतः शून्य एवं अवैध है, क्योंकि वर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष द्वारा आम सभा की ऐसी कोई मिटिंग बुलायी ही नहीं गयी थी। उक्त रेस्पोंडेंण्ट्स/अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 20.04.2025 को मिनट्स में लिखा गया कि -''राकांवत बोर्डिंग आम समाज संस्था एवं रांकावत समाज न्याति भवन संस्था, रोहट के चुनाव दिनांक 24.07.2025 को कराये जायेगे, चुनाव रोहट भवन में कराये जायेगें।'' किन्तु तत्पश्चात उक्त रेस्पोंडेंण्ट्स/अप्रार्थीगण ने फर्जीवाडा करने की नियत से दिनांक 04.05.2025 को ही फर्जी चुनाव करवा लिये गये और अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण संस्थाओं की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गयी है जो कार्यकारिणी एवं समग्र चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भतः शून्य एवं अवैध है। इत्यादि तथ्यों के आधार पर अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा उक्त दीवानी विविध प्रार्थना पत्र में विद्वान विचारण न्यायालय से यह प्रार्थना की गयी थी कि रेस्पोंडेंण्ट्स/अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी सं. 1 शेष अप्रार्थीगण को उक्त अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण संस्थाओं का प्रतिनिधि नहीं माने और इन संस्थाओं के नाम से रेस्पोंडेंण्ट्स/अप्रार्थीगण सं. 2 से 13 कोई गतिविधि नहीं करें।

6. विद्वान विचारण न्याायलय के समक्ष रेस्पोंडेंण्ट्स/अप्रार्थीगण द्वारा उपस्थिति दर्ज कराये जाने के बाद दिनांक 07.01.2026 को अप्रार्थीगण सं. 2 से 13 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी बाबत वादीगण/प्रार्थीगण का वादपत्र विधि द्वारा बाधित होने एवं सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने का प्रस्तुत किया गया था जिसका निस्तारण शेष रहते हुए अंतरिम अनुतोष हेतु बहस सुनी जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2026 पारित कर अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण की अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि विचारण न्यायालय के समक्ष मामले के क्षेत्राधिकार का गंभीर प्रश्न विद्यमान है, इसलिए प्रार्थीगण (अपीलार्थीगण) के पक्ष में अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की हद तक प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है।

7. अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण की ओर से उक्त अपीलाधीन आदेश को अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए कथन किया गया है कि

GOVIND RAM CHOUHAN
Digitally signed by GOVIND RAM CHOUHAN
Date: 2026.02.27 16:09:58 +0530

रेस्पोंडेंण्ट्स/अप्रार्थीगण द्वारा धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सिविल न्यायालय के श्रवणाधिकार को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा इस प्रकरण से संबंधित विवाद का निस्तारण किया जा चुका है और रेस्पोंडेंण्ट्स/अप्रार्थीगण सं. 2 से 13 की कार्यकारिणी का रजिस्ट्रीकरण किया जा चुका है और ऐसे आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा संबंधित न्यायाधिकरण अथवा माननीय उच्च न्याायलय में ही कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे मामले में सिविल न्यायालय का श्रवणाधिकार राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 117 के तहत वर्जित है। इस संबंध में अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया गया था कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण संस्थाएं सहकारी संस्थाएं नहीं है और न ही राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 के तहत रजिस्टर्ड है, बल्कि वास्तव में वादीगण संस्थाए राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1958 के तहत रजिस्टर्ड है, इस कारण धारा 117 उक्त अधिनियम, 2001 हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होती है। वादीगण संस्थाएं सहकारी संस्थाएं नहीं होने के प्रमाण-स्वरूप इन संस्थाओं के रजिस्टर्ड विधान की प्रतियां भी विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी थी और तर्क किया गया था कि अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की सुनवायी के स्तर पर न्यायालय के श्रवणाधिकार को प्रश्नगत करने मात्र से अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण की प्रार्थना अस्वीकार नहीं की जा सकती है तथापि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस आधार पर प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनना पाये जाने का निष्कर्ष किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किया जाये और प्रार्थना की गयी है कि वाद के निस्तारण तक विवादित चुनाव प्रक्रिया दिनांक 04.05.2025 के द्वारा गठित कार्यकारिणी को अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण संस्थाओं के नाम से गतिविधियां करने से रोका जावे।

8. रेस्पोंडेंण्ट्स/अप्रार्थीगण की ओर से इस अपील का विरोध इन आधारों पर किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायायल द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्यों की कोई भूल नहीं की गयी है, क्योंकि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण स्वयं के प्रार्थना पत्र के अनुसार उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, पाली को प्रार्थीगण संस्थाओं पर नियंत्रण करने की विधिक अधिकारिता होना स्वीकृत तथ्य है। इस मामले से संबंधित विवाद की शिकायत रजिस्ट्रार सहकारी समितियां को किये जाने पर उनकी ओर से

GOVIND RAM CHOUHAN
Digitally signed by GOVIND RAM CHOUHAN
Date: 2026.02.27 16:10:08 +0530

मामले की जांच करवायी जाकर दिनांक 04.05.2025 को सम्पन्न चुनावों के तहत गठित कार्यकारिणी को मान्य होना निष्कर्ष करते हुए रजिस्टर्ड किया गया है। अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा भी उक्त जांच अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखा गया था और इस बाबत उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियां पाली के समक्ष हुई कार्यवाही बाबत दस्तावेजात की प्रतियां भी अभिलेख पर मौजूद है और समस्त कार्यवाही का उल्लेख अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में भी है। धारा 117 राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 के तहत सिविल न्यायालय को उक्त उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं पाली द्वारा पारित आदेश के खिलाफ इस प्रकरण की सुनवायी का क्षेत्राधिकार नहीं है। रेस्पोंडेण्ट्स/अप्रार्थीगण की ओर से इस संबंध में **एआईआर 1994 उडीसा पेज 01 बअनवान कैलाशचंद दंडपत बनाम सचिव सहकारी समितियां लि. व अन्य** का उद्धरण देते हुए तर्क किया गया है कि चुनाव का अधिकार सिविल अधिकार नहीं होता है, बल्कि विधि द्वारा दिया गया अधिकार है। इसके अलावा **एआईआर 1983 एससीसी 1272 एवं एआईआर 1991 पंजाब एवं हरियाणा 12,14** का उद्धरण देते हुए तर्क किया गया है कि जहां न्यायालय को कोई प्रकरण ग्रहण एवं विचारण करने का क्षेत्राधिकार नहीं हो, और अंतिम अनुतोष प्रदान नहीं कर सकता हो, वहां अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष भी प्रदान नहीं किया जा सकता है।

9. प्रकरण में उभय पक्षकारान की ओर से अपने अपने तर्को के समर्थन में उक्त अधिनियम, 1958 एवं अधिनियम, 2001 में वर्णित प्रावधानों तथा इस संबंध में कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाओं की ओर से जारी किये गये परिपत्र व गाईडलाईन का भी उल्लेख किया गया है, जिन सभी का अवलोकन एवं अध्ययन करने के उपरांत अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2026 का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट प्रकट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा की गयी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना को एकमात्र इस आधार पर अस्वीकार किया है कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में गंभीर प्रश्न विद्यमान है, इसलिए अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की हद तक प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, किन्तु यहां उल्लेखनीय है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार संबंधी उक्त गंभीर प्रश्न का निस्तारण नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रश्न की सुनवाई के बाद जहां एक ओर यह संभावना है कि विद्वान विचारण न्यायालय इस मामले में अपना श्रवणाधिकार नहीं होने के निष्कर्ष पर पहुंचे वहीं दूसरी ओर यह

GOVIND RAM CHOUHAN
Digitally signed by GOVIND RAM CHOUHAN
Date: 2026.02.27 16:10:15 +0530

संभावना भी है कि विद्वान विचारण न्यायालय इस मामले पर अपना श्रवणाधिकार होना निष्कर्ष करते हुए रेस्पोंडेंण्ट्स/अप्रार्थीगण की आपत्ति एवं धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दें और यदि मामले पर सिविल न्यायालय का श्रवणाधिकार पाया जाता है तो अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया मामला बनने की संभावना भी रहेगी। ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उल्लिखित क्षेत्राधिकार संबंधी गंभीर प्रश्न का निस्तारण करने से पहले ही, केवल क्षेत्राधिकार को चुनौती दिये जाने मात्र से प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनने का निष्कर्ष न्यायोचित एवं विधि-सम्मत नहीं होना प्रकट होता है। इस संबंध में रेस्पोंडेंण्ट्स/अप्रार्थीगण की ओर से उद्धरित किये गये न्याय दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्त के संबंध में गौरतलब है कि जहां सिविल न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण को ग्रहण करने, विचारण करने एवं अंतिम अनुतोष प्रदान कर सकने का क्षेत्राधिकार नहीं होना स्थापित हो जाये, वहां अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अब तक ऐसा कोई निष्कर्ष पारित नहीं किया गया है कि यह प्रकरण उनके क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में नहीं होना पाया गया हो। अतः प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों से रेस्पोंडेंण्ट्स/अप्रार्थीगण के तर्को को पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता है।

10. विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से प्रथमदृष्टया यह भी प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण संस्थाएं, राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के तहत रजिस्टर्ड है तथा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 के तहत रजिस्टर्ड **सहकारी संस्थाएं** नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम, 2001 की धारा 117 में वर्णित प्रतिबंध हस्तगत प्रकरण पर लागू होता है अथवा नहीं, और यह प्रकरण सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार में है या नहीं, इन प्रश्नों का निस्तारण विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना अपेक्षित है और इन प्रश्नों के अनुतरित रहते हुए केवल श्रवणाधिकार को चुनौती दिये जाने मात्र के आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश संवहनीय नहीं है।

11. अतः समग्र विवेचनानुसार यह अपील अन्तर्गत आदेश 43 नियम 1 सीपीसी आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

GOVIND RAM CHOUHAN
Digitally signed by GOVIND RAM CHOUHAN
Date: 2026.02.27 16:10:26 +0530

आदेश

12. परिणामस्वरूपः अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत आदेश 43 नियम 1 सीपीसी विरूद्ध रेस्पोंडेंण्ट्स/अप्राथीगण आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित **अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2026** को अपास्त किया जाता है एवं विद्वान विचारण न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वे उभयपक्ष की विधि अनुसार सुनवाई कर उनके समक्ष विचाराधीन, श्रवणाधिकार संबंधी विद्यमान प्रश्न एवं दीवानी विविध प्रकरण सं. 73/2025 का यथा-संभव शीघ्र निस्तारण करेगे।

13. इस आदेश की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब लौटाया जाये।

(शरद तँवर)
अपर जिला न्यायाधीश,
पाली (राज.)

14. आदेश आज दिनांक 26.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शरद तँवर)
अपर जिला न्यायाधीश,
पाली (राज.)

GOVIND RAM CHOUHAN
Digitally signed by GOVIND RAM CHOUHAN
Date: 2026.02.27 16:10:34 +0530